

बंगालादेश में फिर संवैधानिक संकट के आसार

शशिधर खां

वं

गालादेश में अमूमन वैसी ही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जैसी १९९१ के आम चुनाव के बाद

पैदा हुई थी जब वतमान प्रधानमंत्री शेख हसीना **बाबेद** की पार्टी अवामी लीग बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पायी और बी.एन.पी. (बीएनपी) ने नैशनलस्ट पार्टी को नेंवा बेगम खालिदा जिया को सत्ता में आने का अवसर मिला। अभी विपक्षी नेता बेगम जिया ने १२ जून के चुनाव को अवैध कारार दिया और शेख हसीना पर चढ़े पैमाने पर धांधली करके अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के आरोप लगाकर उनके खिलाफ जमानत तैयार करने की धमकी दी। पहले तो उन्होंने इस मंत्रंघ में पूछे गये सबतलों के जवाब में कहा कि शेख हसीना की तरह संसद का बहिष्कार करने की उनकी कोई योजना नहीं है, लेकिन अब खालिदा जिया वे सारे हकबूझ अपना रही हैं जो उन्हें अपराध करने के लिए शेख हसीना ने उनके पूरे शासनकाल के दौरान अपनाया।

खालिदा जिया ने अपनी मंशा का संकेत दे दिया २३ जून को, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के शास्य ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुरहमान विरायस से अपने पुराने संबंध का लाभ उठाकर नयी संसद के पहले सत्र के पहले दिन ही बी.एन.पी. सरकार के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी। शेख हसीना ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुरहमान का नाम जोड़ा था और देश को आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का जिक्र किया था। नूतन राष्ट्रपति का अभिभाषण

पूरी तरह सरकार का वक्तव्य और भावी कार्यकलापों का लेखाजोखा होता है, इसलिए शेख हसीना ऐसा क्यों सोचती कि इसमें भी उनकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी बेगम जिया कुछ गुल खिला सकती हैं? लेकिन हुआ उनकी आशा के प्रातिकूल राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रभावशाली कर दिया और शेख मुजीब के नाम तक का जिक्र नहीं किया। प्रभावशाली को यह बात बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने संवैधानिक परंपरा के अनुरूप अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश नहीं किया। इस सम्बन्ध में विपक्ष की मांग सरकार ने सीधे-सीधे ठुकरा दी। उसी समय से श्री विरायस से उनके मनोपदे बढ़ते चले गये और स्थिति तभी सामान्य हो पायी जब अक्टूबर में विरायस की जगह पूर्व मुख्य न्यायाधीश शहाबुद्दीन अहमद ने ले ली। श्री विरायस के बारे में पहले भी बेगम खालिदा की तफरवीस करने के आरोप हैं जब वह सत्ता में थी। फिर नवंबर के पहले सत्राह में सत्र आहूत किया गया और सरकार ने १९७५ के खूनी सैनिक तख्तापलट में शामिल सैनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संसद में इस आशय का एक विधेयक लाने की तैयारी शुरू कर दी। उसी तख्तापलट में शेख मुजीब और उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करके वरिष्ठ जनरल खंडकर मुशताक अहमद ने सत्ता हथिया ली। शेख हसीना अगर बंगलादेश से बाहर न होती तो शायद वह भी जीवित नहीं बनती।

बेगम खालिदा नहीं चाहती थी कि यह विधेयक संसद में पेश हो और सरकार को १९७५ तख्तापलट में शामिल जनरलों के खिलाफ मुकदमा चलाने का व्यापक अधिकार मिले, क्योंकि उनके पति महमूद जियाउर्रहमान के भी उस हत्याकांड में शामिल होने के पक्के सबूत मिल चुके हैं। बेगम खालिदा जिया को डर है कि इसका खामयाजा उन्हें भी भुगताना पड़ सकता है, क्योंकि शेख हसीना ने सत्ता में आने के तुरंत बाद ही अपने पिता के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की दी। पहले तो उन्होंने वेसे राजदूतों को अदेश बुलाकर उन्हें अपने-आपने घरों में नजरबंद किया और इस महलें सात सैनिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ मुकदमा चलाना जा रहा है। इमं से पांच ऐसे हैं जो

हसीना की अपील विपक्षी सांसद टीक वैसे ही ठुकरा रहे हैं जैसे पिछले वर्ष अवामी लीग के नेतृत्व में सभी दलों को मिलकर बने संयुक्त मोर्चा के सांसदों ने बेगम खालिदा की अपील ठुकरा दी थी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद से शेख हसीना और बेगम खालिदा दोनों ने इस संकट का समाधान निकालने में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। श्री अहमद न्यायविद होने के साथ-साथ अनुभवी राजनीतिज्ञ भी हैं, क्योंकि

अब्दुरहमान विरायस ने भी पांच साल पहले इन्हीं से कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय प्रधानमंत्री विराय खाद्य सम्मेलन में भाग लेने रोम गयी थीं। लौटने के बाद उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति के ही इशारे पर २१ नवंबर को सेना-दिवस पर बेगम खालिदा और शेख हसीना दोनों को आमंत्रित किया गया। समारोह के मंच पर दोनों नेतृओं को बड़े सौहार्दपूर्ण भाव से मिलते और बात करते देखा गया, लेकिन अभी तक न तो खालिदा, न ही बीएनपी के अन्य कोई सांसद सदन में लौटे हैं। सदन सत्र में हैं और एक हफ्ते तक स्थगित रहने के बाद १९ नवंबर से ही कार्यवाही फिर शुरू हुई है। खालिदा ने कहा तो है कि वह शीघ्र संसद में लौटेंगी, क्योंकि वह शेख हसीना जैसी स्थिति नहीं अपने देना चाहती। पर वह यह नहीं बता रही है कि इसी सत्र में लौटेंगी अथवा अगले सत्र में ही अब लौटने के बारे में सोचेंगी। शेख हसीना के लिए यह चिन्ता का विषय इसलिए भी है कि बीएनपी अपने ही बलबूते पर एक सशक्त विपक्ष है और उन्होंने अवामी लीग को पूर्व राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मुहम्मद इरशाद की जातीय पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के समर्थन की बदौलत बहुमत मिला हुआ है। १९९१ में जब अवामी लीग ने बेगम खालिदा के खिलाफ आन्दोलन छोड़ा था तो उसे अन्य दलों का सहयोग लेना पड़ा था। पिछले वर्ष फरवरी में जिन १४७ सांसदों ने सार्वभूतक इसीफा देकर संसद का बहिष्कार करने का फैसला किया उनमें अवामी लीग के अलावा अन्य दलों के सदस्य भी थे। खालिदा जिया को जातीय पार्टी से पुरानी

खुदक है, क्योंकि मुहम्मद इरशाद ने उनके पति को हत्या करवाकर सत्ता पर कब्जा जमाया था और आज जातीय पार्टी सत्तारूढ़ दल के साथ है। अभी मुहम्मद इरशाद भ्रष्टाचार के कई मामलों में जेल में बन्द है, पार्टी का नेतृत्व उनकी बेगम शेखन इरशाद के विरुद्ध है। दोनों ही संसद सदस्य हैं। बेगम शेखन इरशाद को उम्मीद है कि उनके पति के ऊपर से वे सारे मुकदमों पर लिये जायेंगे जिन्हें चुनावी मुद्दा बनाकर बेगम खालिदा सत्ता हथियाने में सफल हुई थीं। ढाका के अखबार 'भोरर कानाज' के मुताबिक शेख हसीना और मुहम्मद इरशाद के बीच चुनाव से पहले ऐसी 'अंडरस्टैंडिंग' हुई थी, लेकिन ढाका उच्च न्यायालय द्वारा हाल में ही मुकदमा में इरशाद को जमानत देने से इकार कर दिये जाने से शेख हसीना थोड़ी उलझन में पड़ गयी है। इरशाद को संसद में आने के लिए भी उन्हें विशेष अनुमति देनी पड़ी थी।

यह भी एक इतरफक ही है बंगलादेश की तीनों मुख्य पार्टियों के नेता पहिला है जिनमें एक के पति और दो के पति देश पर शासन कर चुके हैं। शुरू है बेगम खालिदा ने अभी तक शेख हसीना से इसीफा देकर पुनः चुनाव काने की मांग नहीं की है। चुनाव की तारीख से ३० दिन पहले इसीफा देने की मांग को लेकर शेख हसीना ने पूरे पांच साल आन्दोलन चलाया और एक साल तक संसद का बहिष्कार किया तब जाकर उनकी मुद्रा पूरी हुई। वैसे बेगम खालिदा ने जनादोलन का आधार तैयार शुरू कर दिया है और शेख हसीना को तब तक वह भी भारत के साथ १९७२ में हुई २५-सालाना मैत्री संधि को भारत के आगे घुटने टेकने वाला कारनामा बता रही है जिसकी वजह से आपने वर्षों इसके नवोत्कर्षण का मामला विवादोत्पन्न हो गया है।

खालिदा जिया ने अपनी मंशा का संकेत दे दिया २३ जून को, जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के शास्य ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुरहमान विरायस से अपने पुराने सम्बन्ध का लाभ उठाकर नयी संसद के पहले सत्र के पहले दिन ही बी.एन.पी. सरकार के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी। शेख हसीना ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुरहमान का नाम जोड़ा था और देश की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का जिक्र किया था।

१९ नवंबर को विपक्षी नेता बेगम खालिदा ने राष्ट्रपति से भेंट की और शिकायत रखी कि उनकी पार्टी के सांसदों को विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। बेगम खालिदा ने और पुलिस पर अपनी पार्टी के समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति अहमद ने उन्हें आग्रह किया कि वे शेख हसीना से बात करेंगे ताकि दोनों पक्षों में ऐसे कुछ मुद्दे पर

१९ नवंबर को विपक्षी नेता बेगम खालिदा ने राष्ट्रपति से भेंट की और शिकायत रखी कि उनकी पार्टी के सांसदों को विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। बेगम खालिदा ने और पुलिस पर अपनी पार्टी के समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति अहमद ने उन्हें आग्रह किया कि वे शेख हसीना से बात करेंगे ताकि दोनों पक्षों में ऐसे कुछ मुद्दे पर

१९ नवंबर को विपक्षी नेता बेगम खालिदा ने राष्ट्रपति से भेंट की और शिकायत रखी कि उनकी पार्टी के सांसदों को विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। बेगम खालिदा ने और पुलिस पर अपनी पार्टी के समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति अहमद ने उन्हें आग्रह किया कि वे शेख हसीना से बात करेंगे ताकि दोनों पक्षों में ऐसे कुछ मुद्दे पर

१९ नवंबर को विपक्षी नेता बेगम खालिदा ने राष्ट्रपति से भेंट की और शिकायत रखी कि उनकी पार्टी के सांसदों को विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। बेगम खालिदा ने और पुलिस पर अपनी पार्टी के समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति अहमद ने उन्हें आग्रह किया कि वे शेख हसीना से बात करेंगे ताकि दोनों पक्षों में ऐसे कुछ मुद्दे पर

१९ नवंबर को विपक्षी नेता बेगम खालिदा ने राष्ट्रपति से भेंट की और शिकायत रखी कि उनकी पार्टी के सांसदों को विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। बेगम खालिदा ने और पुलिस पर अपनी पार्टी के समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। न्यायमूर्ति अहमद ने उन्हें आग्रह किया कि वे शेख हसीना से बात करेंगे ताकि दोनों पक्षों में ऐसे कुछ मुद्दे पर